भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 641
4 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत गरीबों को वित्तीय सहायता

641. श्री रमेश चन्द माझी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, कैंसर रोगी निधि और अन्यविवेकाधीन निधि के तहत गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदानकरने के लिए निर्धारित मानदंडों और अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौराक्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त निधि के तहत वित्तीय सहायतामांगने वाले आवेदनों पर कार्रवाई में देरी और उक्त देरी के कारणरोगियों की मृत्यु के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवेदनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिएकौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्तावहै?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अंब्रेला योजना तथा स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के तहत, चिन्हित जीवन-घातक रोगों से पीड़ित तथा सरकारी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रहे निर्धन रोगियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन): राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अंब्रेला योजना के तहत निम्नतम गरीबी रेखा के निचले स्तर पर रहने वाले तथा प्रमुख चिन्हित जीवन-घातक रोगों से पीड़ित निर्धन परिवारों के रोगियों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए 15 लाख रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तीन घटक हैं, नामत: (i) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन)- कैंसर के अलावा जीवन-घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए; (ii) स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ)- कैंसर से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और (iii) विशिष्ट विरलरोगों से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। विशिष्ट विरलरोगों से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता योजना राष्ट्रीय विरल रोग नीति, 2021 के संगत प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित की जाती है।
राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश https://main.mohfw.gov.in/Major-Programmes/poor-patients-financial-assistance/rashtriya-arogya-nidhi पर उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी): स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के तहत अधिकतम 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बहुत ही निर्धन रोगियों को, उन मामलों में जहां नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत कवर किए गए जीवन-घातक रोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती/ उपचार पर व्यय के एक भाग का भुगतान करने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए केवल वे लोग ही पात्र होते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.25 लाख रुपए और इससे कम है।

(ख) और (ग): आरएएन तथा एचएमडीजी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थित आवेदनों पर देर से कार्रवाई करने के संबंध में गत 2 वर्षों के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): **आरएएन और एचएमडीजी** के कार्यचालन को सरल बनाने और अनुमोदनों में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से सरकार ने इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आईटी मंच (प्लेटफार्म) पर आरंभ किया है।

*****